

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

प्रेस नोट संख्या: 152, दिनांक 18-05-2025

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गुफरान गिरफ्तार ।

दिनांक-18-05-2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-72/2025 धारा-2/3 गैंगेस्टर में वांछित एवं रू0 50,000/- के पुरस्कार घोषित अभियुक्त गुफरान खान को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

गुफरान खान पुत्र मो0 मुस्तफा खान निवासी ग्राम हण्डौर पूरे नाहर, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय:-

भागीपुर गाँव के पास सड़क पर थाना क्षेत्र रानीगंज जनपद प्रतापगढ़, दिनांक: 18-05-2025, समय 12:40 बजे ।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों द्वारा सक्रिय आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रहीं थी । इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी ।

प्रयागराज टीम द्वारा थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0- 72/2025 धारा-2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित व रू0 50,000/- के पुरस्कार घोषित अभियुक्त गुफरान खान की गिरफ्तारी हेतु अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी । इस दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त गुफरान खान भागीपुर सड़क पर मौजूद है, जो कहीं बाहर भागने की फिराक में है । मुखबिर द्वारा दी गयी सूचना पर विश्वास कर उप निरीक्षक श्री विनय तिवारी, मुख्य आरक्षीगण हबीब सिद्दीकी, साजित अली, विकास तिवारी, सुनील कुमार, प्रवीण जायसवाल, पंकज तिवारी व आरक्षी चालक मनोज कुमार यादव की टीम थाना क्षेत्र रानीगंज प्रतापगढ़ पहुँची तथा मुखबिर की निशादेही पर अभियुक्त गुफरान खान उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त गुफरान खान उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि उसका ट्रक/वाहन आदि चोरी/लूट/डकैती करने का एक संगठित गिरोह है, जिसमें वह अपने अन्य साथीगण नदीम, बृजेश कुमार, शकील, महमूद आदि के साथ मिलकर घटना को अन्जाम दिया करते हैं । माह दिसम्बर 2023 में मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ से सीमेन्ट की चादर लोड करके खड़गपुर पश्चिम बंगाल के लिए ट्रक संख्या-एन0एल0-01-ए0टी0-3183 को लेकर चालक/वाहन

स्वामी जा रहा था, जो थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ में तिवारी ढाबा व वीआईपी ढाबा के मध्य चालक लघुशंका के लिए उतर ही रहा था कि पीछे से असलहा लगाकर बोलेरो गाड़ी में बैठा लिया तथा जौनपुर की तरफ जाने वाले रास्ते में आगे चलकर नशीला पदार्थ खिलाकर उसे बेहोश कर दिया और ट्रक पर लदे सीमेन्ट की चादरे व 25,000 रु0 नकदी लूटकर वहाँ से भाग गये और लूटे गये पैसे आदि को आपस में बाँट लिया था। इसी प्रकार माह फरवरी 2024 में एनटीपीसी बारा के पास 14 चक्का कन्टेनर को खड़ी कर रात्रि लगभग 11 बजे ट्रक चालक सो रहा था कि उसी समय हम लोग ट्रक में घुसकर उसका मुँह दबाकर मारा-पीटा तथा हाथ पैर व आँख में पट्टी बाँधकर ट्रक लेकर भाग गये। लगभग 5-7 किमी0 गाड़ी चलने के बाद ट्रक चालक को उतारकर दूसरी गाड़ी में डाल दिये और बरगढ़ थाने से लगभग 7 किमी0 पहले रोड के किनारे छोड़ दिया था और कन्टेनर गाड़ी को लेकर चले गये। उक्त घटना के बाद चालक/मालिक जो ट्रक नं0 यू0पी0-45-टी-7672 से पीपरपुर अमेठी से ईट लादकर रीवा मध्य प्रदेश ले जाते समय सुल्तानपुर प्रतापगढ़ मार्ग पर स्थित सैनिक ढाबा गोड़े थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ के पास खड़े ट्रक को दिनांक 11-03-2024 प्रातः 03:00 बजे चोरी कर लिया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 110/24 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें बरामदगी होने के उपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है। अभियुक्त गुफरान खान को थाना शंकरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 44/24 में गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा गया था। जेल से छूटने के बाद वह अपने घर में रह रहा था कि गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत होने एवं पुरस्कार घोषित होने की जानकारी होने पर गिरफ्तारी से बचने के लिए वह अलग-अलग स्थान पर छिपकर रहने लगा।

गिरफ्तार अभियुक्त गुफरान खान उपरोक्त को थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-72/2025 धारा-2/3 गैंगेस्टर एक्ट में थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा अमल में लायी जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त गुफरान खान उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहास :-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	508/2009	5/25 आर्म्स एक्ट	लालगंज	प्रतापगढ़
2	44/2024	34/342/395/397/412/420/467 468/120बी भादवि	शंकरगढ़	प्रयागराज
3	48/2024	328/364/392/413/467/468 120बी भादवि	फतनपुर	प्रतापगढ़
4	59/2024	307 भादवि व 3/25/27 आर्म्स	शंकरगढ़	प्रयागराज
5	110/2024	395/412 भादवि	को0नगर	प्रतापगढ़
6	72/2025	2/3 गैंगेस्टर एक्ट (वांछित/पुरस्कार घोषित 50 हजार रुपये)	फतनपुर	प्रतापगढ़